IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. परविन्द्रजीत सिंह
प्राचार्य
संत श्री प्राणनाथ परनामी पी जी कॉलेज पदमपुर

सारांश .

किसी भी समाज की उन्नति व प्रगति उसके मानवीय संसाधनों.स्त्रियों व पुरुषों के बीच समानता पर निर्भर करती हैए ये ही सामाजिक संरचना के आधार स्तम्भ होते हैं। पूर्ण एवं निरन्तर विकास के लिए आवश्यक है कि दोनों आधार स्तम्भ अर्थात् स्त्री व पुरुष मिलकर समाज निर्माण में योगदान दें। परन्तु अल्प विकसित व विकासशील देशों के सन्दर्भ में यह धारणा कोरी कल्पना ही साबित होती है। हमारे समाज में पारम्परिक रूप से प्रदत्त सत्ता में पुरुष एक मुख्य भूमिका अदा करता आया है। निर्णयकारिता के प्रत्येक स्तर पर पुरुष अपना पारम्परिक हक जताता रहता हैए इसके पीछे इसका तर्क है कि वह ही निर्णय लेने में सक्षम है। यद्यपि हमारे देश में महिलाओं को देवियों की मान्यता दी गयी है। लेकिन कालान्तर में उनके कार्यए योगदान और उनकी प्रतिष्ठा को समाज की मुख्य धारा से दूर कर दिया गया। सिंधु.सभ्यता में स्त्री.रूपों को ही अधिक पूजा जाता था। हड़प्पा की खुदाई से मिली एक मूर्ति मेंए स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया हैएजिसे इतिहासकार पृथ्वी देवी की मूर्ति बताते हैं। इसी प्रकार की और भी अनेक मूर्तियां मिली हैं जो महिलाओं की श्रेष्ठ स्थिति को उजागर करती हैं। समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता के आधार पर कुछ इतिहासकर मानते हैं कि सिंधु समाजए मातृ . सत्तात्मक था और राज्य व सम्पति का उत्तराधिकार ए कन्याओं को मिलता था। आधुनिक केरल राज्य में मातृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है जिससे यही धारणा पुष्ट होती है कि प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरूषों के मुकाबले श्रेष्ठ थी।

शब्द संकेत . मानवीय संसाधनए सिंधु.सभ्यताए मेसोपोटामिया सभ्यता

महिला सशक्तिकरण .

हमारा देश ग्राम प्रधान रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 68ण्84 प्रतिशत गांवों में निवास करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने ग्रामीण समुदाय के विकास पर ध्यान दिया। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को गतिशील करने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास योजना 1952 एवं राष्ट्रीय विस्तार योजना 1953 प्रारम्भ की गयी परन्तु दुर्भाग्यवश यह योजनायें अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। बलवन्त राय मेहता कमेटी 1957 की संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सन् 1959 में देश में लागू की गयी। अशोक राय मेहता कमेटीए 1977 तथा जीण वीण केण राव कमेटीए 1985 ने पंचायती राज व्यवस्था को व्यक्तिोन्मुखी बनाने हेतु अमूल्य सुझाव दिये।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कई प्रकार की शंकायें भी सामने आती है। जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा करती है। क्या वास्तव में हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैंद्य क्या वास्तव में इससे पहले महिला उद्धार के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाये गये थेद्य क्या महिलायें अपने राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए वास्तव में लड़ाई लड़ेगींद्य महिलायें किस तरह संवैधानिक जिम्मेदारी निभायेगीं और अपना कर्तव्यपालन करेगीं जबकि उनका एक बड़ा प्रतिशत अभी भी अशिक्षित एवं राजनैतिक क्षितिज पर अनुभव शून्य हैद्य वे इन बदली परिस्थितियों में सामंजस्य कैसे स्थापित कर पायगी द्य उन्हें जनसभाओं के लिए अधिक समय देना पड़ेगाए रात में भी घर के बाहर रहना पड़ सकता है। पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगाए ऐसे निर्णय भी लेने होंगे जो अक्सर पुरुषों के विरुद्ध होंगे। वे किस प्रकार से दूसरों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय ले सकेंगीद्य जबकि वे अभी अनेक प्रकार से पुरुषों पर ही निर्भर रहती हैं.कभी पुत्री के रूप मे तो कभी पत्नी के रूप में कभी माता के रूप मे वे गलाकाट राजनैतिक प्रतिद्वन्दता काए जिसका कोई अन्त नहीं होता हैए किस प्रकार सामना करेंगीद्य लगातार अमानवीय अत्याचारों के प्रति वे स्वयं व समाज को कैसे जागरूक कर सकेगींद्य वे अन्य सामाजिक संस्थायें जैसे पुलिस व न्यायालय में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपना पक्ष किस प्रकार रखेंगीद्य जबकि कई बार ऐसे आरोप उनकी अपनी गलती से नहीं बल्कि दूसरों की साजिश व गलती की वजह से ही लगेंगे। क्या महिलायें ऐसी सिद्धहस्त कूटनीतिज्ञ हो सकेंगी कि वे ऐसे हमलों से अपना बचाव कर सकेंद्य पंचायती राज संस्थाओं के साथ वह कैसा कार्यानुभव करेगी द्य

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएँ .

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का वास्तविक पर्दापण 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ के प्रथम दशक में कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हुआ और इसी में दूसरे दशक में वे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़ी। 1931 में महान आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट जो भारत को अपनी कर्मभूमि व घर मानतीं थी राजनीति के क्षेत्र में एक कर्मठ कार्यकत्री के रूप में उभरी। उनके योगदान के कारण व भारतीयों के प्रति उनके भाव को देखकर ही 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के गरिमामयी पद की बागडोर सौंपी गई। यह देश की राजनीति के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के सक्रिय योगदान की दिशा में पहला सफल कदम था। हालांकि इसके पूर्व में श्रीमती बेसेंट ने श्रीमती मार्गेरट कजिंस तथा श्रीमती मार्गेरट थैचर नोबल ;जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता थाद्ध के साथ मिलकर वेकअप इंडिया नाम के आंदोलन का सूत्रपात किया था यही आंदोलन बाद में 'होमरूल लीगश् में परिणित हुआ था।

भारतीय महिलाओं की राजनीतिक भूमिका के सन्दर्भ में 1917 का वर्ष अति महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें महिलाओं ने एक साथ कई दिशाओं में महत्वपूर्ण कदम रखे। श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर स्त्रियों को भी पुरूषों के समान ही मताधिकार दिये जाने की मांग। स्थानीय शासन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबन्धित निर्वाचित निकायों में महिलायें किस क्षमता से कार्य कर सकती हैंए की सम्भावना को तलाशने का भी कार्य किया गया। इस सम्बन्ध में 18 दिसम्बर 1917 को श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 14 प्रमुख महिलाओं का एक शिष्टमण्डल श्री माण्टेग्युए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया और वायसराय लार्ड चैम्सफोर्ड से मिला। यह महिलाओं में जागृति की ही नहीं दृढ़ता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़कर सक्रिय भाग लेने की भी प्रतीक थी।

शिक्षाए ज्ञान.विज्ञानए व्यवसाय के क्षेत्रों में महिलायें जिस प्रकार आगे बढ़ी हैए राजनीतिक क्षेत्र में उतनी प्रगति नहीं हुयी है। यद्यपि ब्रिटेनए अमेरिकाए जापान जैसे उन्नत देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं की स्थिति इस क्षेत्र में अच्छी है। भारत में एक महिला विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र की प्रधानमंत्री बनीए अपनी राजनीतिकए कूटनीतिक योग्यताए सूझ.बूझ और प्रशासनिक क्षमता साबित की। एक बार चुनाव हारने के ढाई साल बाद ही दोबारा राजनीतिक पटल पर उदय को सारे संसार ने आश्चर्य से देखा और उनकी शक्ति का लोहा माना। यह दर्शाता है कि यदि भारतीय महिलाओं की वर्तमान प्रगति इसी रफ्तार से चलती रही तो उनके लिए भविष्य में सम्भावनायें और अच्छी होगीं।

महिलाओं के लिये संविधानिक अधिकार .

महिला.पुरुष समानता की प्रतिबद्धता नीति.निर्माण के सर्वोच्च स्तर पर अर्थात् भारत के संविधान में भली. भांति स्थापित है। महिलाओं के लिये बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबन्ध इस प्रकार हैरू.

समानता का अधिकार . अनुच्छेद.14 जिसमें विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षणए धर्मए मूल वंशए जातिए लिंगए जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ;अनुच्छेद.15द्धए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ;अनुच्छेद.16द्धए और अस्पृश्यता तथा अपराधियों का अन्त ;अनुच्छेद.17ए 18द्ध शामिल है।

स्वतंत्रता का अधिकार .अनुच्छेद.21 जिसमे जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकारए और भाषण तथा अभिव्यक्तिए सम्मेलनए संगम या संघ बनानेए भारत के किसी भाग में जाने और निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार और कोई पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार ;अनुच्छेद.19द्ध शामिल हैं।

शोषण के विरूद्ध अधिकार . अनुच्छेद.23 व 24 जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के श्रमए बालश्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है। अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से माननेए आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ;अनुच्छेद.25 से 28द्ध अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृतिए भाषा और लिपि को बनाये रखने तथा अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार ;अनुच्छेद.29 व 30द्ध

अनुच्छेद.31रू इसके अन्तर्गत स्त्री.पुरूष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई।

अनुच्छेद.243रू पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई।

अनुच्छेद.42रू महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता।

अनुच्छेद.47रू पोषाहार जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ में सुधार करना सरकार का दायित्व।

अनुच्छेद.330रू 84वें संशोधन के द्वारा लोक सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद.332रू 84वें संशोधन के द्वारा राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।

इन सभी मूल अधिकारों कों प्रवर्तित कराने के लिये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ;अनुच्छेद.32द्ध दिया गया है।

सामाजिक कानून .पारिवारिक न्यायालय अधिनियम.1984ए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम. 1925ए चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम.1971ए बाल विवाह निषेध अधिनियम. 1929ए हिन्दू विवाह अधिनियम.1955ए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम.1956 ;वर्ष 2005 में यथा संशोधितद्धए भारतीय विवाह.विच्छेद अधिनियम.1969य हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम.1856ए हिन्दू महिलाओं का सम्पत्ति अधिकार अधिनियम.1937ए हिन्दू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम. 1946ए मुस्लिम शरीयत अधिनियम.1937ए मुस्लिम विवाह.विच्छेद अधिनियम.1939ए विशेष विवाह अधिनियम.1872 और 1923

भारत मे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम पर बनी पंचायती राज संस्थायें ही ग्रामीण विकास को सार्थक गति प्रदान कर सकती हैं। चाहे नामकरण भिन्न हो किन्तु विश्व के बहुत सारे देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इनमें कोलंबियाए चिलीए फिलिपीन्सए जाम्बियाए बुरकिनाकासीए मैक्सिकोए आइवरोकोस्ट तथा पाकिस्तान प्रमुख हैं। ''प्रत्यक्ष लोकतंत्र के घरश्श के नाम से प्रसिद्ध स्विटजरलैण्ड में स्थानीय सरकारें सर्वाधिक सशक्त है। भारत में राष्ट्रीय समस्याओं के समाधानए संपूर्ण देश के विकास तथा ग्रमीण क्षेत्रों की चहुँमुखी उन्नति हेतु 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 11वीं अनुसूची में जिन 29 विषयों का समावेश किया गया हैए वे वस्तुतः सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी हैं।

महिला सशक्तीकरण के मानक .

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के प्रवेश व सहभागिता को समानता तथा नारी सबलीकरण या नारी सशक्तीकरण सम्बन्धी अनिवार्यता के परिप्रेक्ष्य में भी देखना आवश्यक है। वस्तुतः 'समानताश का सामान्य अर्थ. सामाजिक निर्णय में बिना किसी लिंग.विभेद के न केवल सभी व्यक्तियों की सहभागिता बल्कि समान अवसरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना। इस रूप मेंए शिक्षा स्वास्थ्य आदि जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तथा सामाजिकए आर्थिकए राजनैतिक जीवन मेंए बिना किसी विभेद के अवसरों की समान उपलब्धता ही समानता है। समानता के संवैधानिक आश्वासन व व्यवस्था के बावजूदए पितृसत्तात्मक अथवा पितृ.प्रधान व्यवस्था की निरन्तरता

के कारण लैंगिक विषमताओं को पूर्णतः समाप्त किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। इसका भी प्रमुख कारण लैंगिक असमानता की जड़ों का मुख्यतः सत्ता व शक्ति.सम्बन्धोंए जातिए वर्ग.संस्तरणए सामाजिक.सांस्कृतिक परम्पराओंए प्रथाओं व नियमों आदि पर आधारित रहना है।

वास्तव में लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परम्परागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सकेए महिला.सशक्तीकरण का आधार माना गया है। महिला सशक्तीकरण के कुछ परिभाषित मानकों को अधोलिखित रूपों में देखा जा सकता हैरू.

- महिलाओं में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना विकसित करना।
- महिलाओं की सकारात्मक छवि का निर्माण. यह कार्य सामाजिक.आर्थिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देकर किया जा सकता है।
- निर्णय लेने की क्षमता का पोषण व उसे उन्नत करना।
- विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
- महिलाओं में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास करना।
- महिलाओं में आर्थिक स्वतन्त्रता हेतु सूचनाए ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना।
- महिलाओं के कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अधिकारों सम्बन्धी सूचनाओं तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करना।
- सामाजिक.आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनकी सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास करना।

भारत व भारतीय समाज भूमण्डलीकरणए उदारीकरण के दौर में लगभग 20 वर्षों की यात्रा कर चुका है। विश्व ग्राम की संकल्पना के अन्तर्गत अब जब यह भावना बलवती होती जा रही है कि यदि शेष विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करना है तो उन परम्पराओं कोए रूढ़ियों व प्रथाओं में परिष्कार लाना होगा जो समाज के महत्वपूर्ण भाग स्त्री समाज को हाशिए पर रखने को तार्किक मानता है। पुरुष प्रधान संस्कृति एवं सामाजिक संरचनाएं ग्रामीण भारत में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन में महिला सहभागिता को प्रभावित करती है। अब भी कुछ परिवार अपनी महिलाओं को पंचायतों में काम करने की स्वीकृति नहीं देतेए क्योंकि वे महिला का स्थान घर में समझते हैंए पंचायत में नहीं पारम्परिक परिवार महिलाओं की स्वतन्त्रता को उचित नहीं समझते। ज्यादातर महिला जनप्रतिनिधियों के पति ही उनका काम संभालते हैं। इस कारण उनके लिए सरपंच पति या प्रधान पति जैसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ये लोग ही पंचायत प्रतिनिधि के रूप में महिला का सारा कार्य करते हैंए उनका कार्य चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। वे ही चुनावों में वोट मांगते हैंए प्रचार करते हैंए एजेंट बनाने एवं मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते हैंए महिला उम्मीदवार एवं प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती हैं। उनकी तरफ से सारे वादे एवं योजनाएं उनके पति ही जनता के सामने पेश करते हैं। सच तो यह है कि मतदाता भी उनके पति की साखए योग्यताए ईमानदारी एवं राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मतदान करते है। ये पति ही जीतने के बाद महिला को बैठकों आदि आवश्यक कार्यों में अपने साथ ले जाते हैं। उनके 'हाँश या 'नाश के आधार पर ही महिला किसी प्रस्ताव या अन्य प्रशासनिक कार्यों एवं आदेशों पर हस्ताक्षर करती हैं।

इस प्रकार पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रति पुरुषों की मनोवृत्तियोंए अभिरूचियों एवं व्यवहारों को उनके सकारात्मक व नकारात्मक अर्थात् सहयोगात्मक व प्रतिक्रियात्मक संदर्भों में ही देखा जा सकता है।

संदर्भ सूची –

1. जाति एवं राजनीतिए भारतीय सामाजिक समस्यायें राम आहूजा 2004ए रावत. सूचना भवनए नई दिल्ली.11003
2. ग्रामीण महिला सशक्तिकरणए कुरूक्षेत्रए मार्च 2008 . सूचना भवनए नई दिल्ली.11003
3. हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडियारू एचण्टीण्टीण्पीण्ध्वीकीपीडियाण ओण्आरण्जीण इन
4. समाचार पत्ररू इण्डियन एक्सप्रेसए टाइम्स आफ इंण्डियाए हिन्दुस्तानए राष्ट्रीय सहाराए दैनिक जागरणए अमर उजाला आदि।
5. शोध पत्रिकायेंरू समाज वैज्ञानिककीए समाज कल्याणए नवज्योतिए कुरुक्षेत्रए इंडिया टुडेए आऊटलुकए योजना आदि।
6. भारत सरकारए वार्षिक रिर्पोटए महिला एवं बाल विकास विभागए नई दिल्लीए 1997.98
7. सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान ;2003द्ध राम आहूजाए रावत पब्लिकेशन्सए न्यू दिल्ली।
8. पंचायतों की भूमिकारू ग्राम तथा क्षेत्रध्जिला स्तर पररू पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार व यूनिसेफ लखनऊ।
9. पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिकाए अलका गुरहा दृ 2000
10. राजस्थान में महिला पंचायतीराजरू दशा और दिशा . नीलिमा अग्रवालए कुरूक्षेत्र पत्रिका ।
11. स्त्री सशक्तीकरणरू अतीत से अब तकए इन्द्र कुमारी सिन्हाए सितम्बर 2003ए योजना मासिक पत्रिका।
12. राजनीति में महिला नेतृत्व संभावनाओं की तलाश . शास्त्री लेखिका ऋत्रु सारस्वतए 13 जनवरी 2009 योजना।